न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 54 / 2020 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रामचन्दर पि. भेरूलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. जमनाबाई पत्नि स्व. भेरूलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मदनलाल पि. भेरूलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. राजस्थान राज्य उप पंजीयक सुनेल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल
4. ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा सरपंच
5. उषा पि. भेरूलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री पूरीलाल राठौड

वकील अप्रार्थीगण – श्री रमेश चन्द सोनी

आदेश **दिनांक :**

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि दिनांक 13.11.2002 को खातेदार भेरूलाल पि. जोधा धाकड नि. सुनेल ने ग्राम सुनेल तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज0 की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 1172 की आराजी किता 8 रकबा 3.5789 हेक्टर भूमि में से अपना हिस्सा 1 / 2 भाग की वसीयत का दस्तावेज उप पंजीयक सुनेल के कार्यालय में पंजीबद्व करवाया जिसके आधार पर ग्राम पंचायत सुनेल ने दिनांक 20.10.2015 को नामा.सं. 3553 वसीयतकर्ता के स्थान पर मदनलाल पि. भेरूलाल के पक्ष में नाम दर्ज किया जो विधि विरूद्ध है। वसीयत के संबंध में प्रोबेट न्यायालय का प्रमाण पत्र नहीं है। [illegible] के तहत आराजी का अवतरण के संबंध में कोई घोषणात्मक वाद के द्वारा आराजी घोषित नहीं हुई है। नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रमाणिक साक्षी का कोई [illegible] प्रमाणस्वरूप कथन नहीं है। वसीयत

COURT 2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:13:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

का अनुप्रमाणक साक्षी रामगोपाल नागर वसीयत के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करता है। वसीयत के पंजीयन के समय अधिकारी ने साक्षी को किस प्रकार व किस दस्तावेज से पहचान की कोई विवरण नहीं है। वादग्रस्त आराजी के स्व अर्जित होने का कोई प्रमाण नहीं है। वसीयत की गई आराजी का विधिवत विभाजन समस्त खातेदारो के मध्य नहीं हुआ है। वसीयत के नामान्तकरण दर्ज करते समय आराजी पर कब्जे के संबंध में जांच नहीं की गई। वसीयत एवं उसके संबंध में दर्ज नामान्तकरण में सारवान विधि व प्रकियात्मक विधि के तहत निष्प्रभावी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपरिमित क्षति की संभावना प्रार्थीगण की है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण होने तक ग्राम सुनेल तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज0 की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 1172 की आराजी किता 8 रकबा 3.5789 हेक्टर भूमि में प्रार्थीगण के प्रवेश को नहीं रोके तथा अप्रार्थी सं. 1 को भूमि के अन्य संक्रामण से निर्बन्धित किया जावे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सुनेल की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 1172 नकल , नामा.सं. 3553 की नकल , वसीयतनामा दि. 13.11.2002 की प्रति , जमाबंदी सं. 2019–22 के खाता सं. 127 की नकल की छायाप्रति प्रस्तुत की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री रमेश चन्द सोनी ने वकालातनामा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया कि खातेदार भेरूलाल पि. जोधा धाकड ने अपने हिस्से की 1/2 आराजी रजिस्टर्ड वसीयत मदनलाल प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में की थी। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा जांच करके नामा. सं. 3553 वसीयतग्रहिता के पक्ष में स्वीकृत किया था। वसीयतकर्ता द्वारा अपने पूर्ण होश हवास में विधि अनुसार विधिक प्रावधानो का पालन कर वसीयत की है। वसीयतकर्ता वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड एवं कब्जाधारी खातेदार था जिसे अपने हिस्से की भूमि की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। प्रार्थी सं. 1 रामचन्द्र जब 3–4 वर्ष का था तब [illegible] चला गया था एवं रतनलाल की आराजी पर प्रार्थी सं. 1 का नाम [illegible] खातेदार रामचन्द्र पि. रतनलाल दर्ज रिकार्ड है। इसलिये प्रार्थी का वाद लाने [illegible] कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:13:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नहीं है एवं न ही वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सुनेल की जमाबंदी खाता सं. 1172 की नकल की छायाप्रति पेश की।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र , जवाब प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम सुनेल तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज0 की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 1172 की आराजी किता 8 रकबा 3.5789 हेक्टर भूमि में अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में खातेदार भेरूलाल पि. जोधा धाकड द्वारा दिनांक 13.11.2002 को रजिस्टर्ड वसीयत सम्पादित की जिसके आधार पर ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा नामा.सं. 3553 स्वीकृत किया। राजस्व रिकार्ड अनुसार मदनलाल पि. भेरू एवं रामचन्दर पि. रतन 1/2 , 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि ग्राम सुनेल की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 1172 की आराजी किता 8 रकबा 3.5789 हेक्टर भूमि में दर्ज खातेदारान अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अपूरनीय क्षति की संभावना अप्रार्थीगण को है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का खारीज किया किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(अभिषेक चारण) 24/1/24
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:13:44 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

Scanned with OKEN Scanner